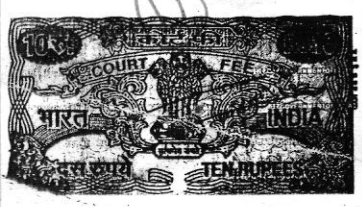

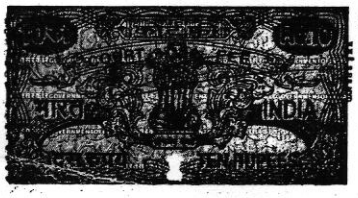

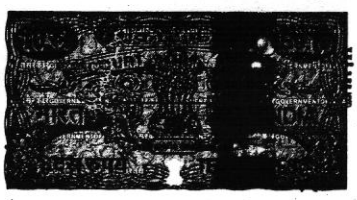

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- /2016-17/ निगरानी R 262-I-17

सुरेश सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह निवासी- ग्राम भदाखुर, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

......निगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 19-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- **रामरतन सिंह** पुत्र **श्री** लालसिंह, जाति ठाकुर, निवासी- ग्राम भदाखुर, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.) हाल निवासी- पुलिस लाईन पन्ना (एस.आई. म.प्र. पुलिस)

......असल **रिस्पोण्डेन्ट**/अपीलान्ट

2- रन सिंह

3- रामलखन सिह

4- कुन्नू सिंह उर्फ **रामेन्द्र** सिंह पुत्रगण लाल सिंह समस्त **जाति** ठाकुर, समस्त निवासीगण- ग्राम **भदाखुर**, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

......तरतीवी रिस्पोण्डेन्ट्स/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रास्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.01.2017 जो न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना (म.प्र.) पीठासीन अधिकारी श्री आर.बी. प्रजापति द्वारा प्रकरण क्रमांक- 67/2014-15 अपील में पारित किया गया, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक- 36/2012-13 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.08.2013 एवं नायब तहसीलदार वृत्त- फूप जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक- 141/2010-11/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2011 को निरस्त किया गया।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

1- यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अधीनस्थ **न्यायालय** नायब तहसीलदार वृत्त फूप के समक्ष एक आवेदन-**पत्र** अन्तर्गत धारा

XXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-262-एक/17 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 67/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत्त फूप के समक्ष अनावेदक लाल सिंह के स्वामित्व की भूमि मौजा भदाकुर स्थित सर्वे क्रमांक 1456 रकवा 0.314 एवं सर्वे क्रमांक 1462 रकवा 0.084 हे. हिस्सा 1/2 पर आवेदक का कब्जे के आधार पर शासकीय अभिलेख में इन्द्राज किए जाने का अनुरोध किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 08.08.2013 द्वारा अस्वीकार की गई। जिसको विरुद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 17.01.2017 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदन में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश इस आधार पर पारित कर घोर वैधानिक भूल की गई है कि अपीलार्थी को पूर्ण अवसर प्रदान होने के बाद भी उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता है कि आवेदक का वास्तव में विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। जब यह स्थिति स्पष्ट थी तो विद्वान अधीनस्थ नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा अभिलेख में आवेदक	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	के कब्जे को दर्ज किए जाने की टीप अंकित किए जाने का वैधानिक आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं होने पर भी उसे निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपील अवधि वाह्य प्रस्तुत किए जाने के बिन्दु पर आलोच्य आदेश में कोई विवेचन किए बिना आदेश पारित किया गया है जो वैधानिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है। 4. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि को 5/- रुपये एवं 10/- रुपये के स्टाम्प पर गिरवी रखने का उल्लेख है। एवं प्रश्नाधीन भूमि विधिवत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत विक्रीत नहीं हुई है। तथा भूमि को गिरवी रखे जाने की कोई रजिस्ट्री नहीं है और ना ही संपत्ति का विधि विक्रय विलेख संपादित हुआ है। ऐसी स्थिति में भूमि बिना विक्रय किए तथा उसकी रजिस्ट्री हुए बिना तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैध है एवं पक्षकारों को विधिवत सूचना भी नहीं दी गई है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	